

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 103/18

लल्लू कुशवाह उर्फ रजनेश पुत्र गोविंद कुशवाह
आयु 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

-----अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 104/18

सुनील पुत्र रामकिशन कुशवाह आयु 22 वर्ष
निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा मौ जिला भिण्ड म.प्र.

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

-----अनावेदक

22-04-2018

आवेदकगण/आरोपीगण लल्लू उर्फ रजनेश व सुनील की ओर से श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी/आपत्तिकर्ता रजनी की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

अधीनस्थ न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद से मूल आपराधिक प्र०क्र० 104/18 म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ विरुद्ध नारायण सिंह आदि प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 103/18 आवेदक लल्लू उर्फ रजनेश का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 104/18 आवेदक रामवीर जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकार एक ही मामले में दोनों आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक-पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

उक्त दोनों आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री

के०पी० राठौर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर संबंधित सभी पक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण लल्लू उर्फ रजनेश व सुनील की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को पुलिस थाना मौ ने गलत रूप से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आवेदकगण का अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

फरियादी/आपत्तिकर्ता कुमारी रजनी की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदकगण उसके पिता को राजीनामा हेतु धमकी दे रहे हैं और जान से खत्म कर देने की भी धमकी दे रहे हैं अभियुक्तगण के परिवारजन झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं यदि आवेदक की जमानत स्वीकार की गई तो तो वे साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। अतः इन्हीं आधारों पर आवेदकगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार सभी पक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आपराधिक प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 07.01.18 को करीब 12 बजे पीड़िता रजनी अपने घर से अकेली बड़ी माता के आगे नरिया वाले खेत में लेटिन करने जा रही थी, तभी वहां नारायण कुशवाह अपने दोस्त लल्लू कुशवाह के साथ आया और नारायण ने उसे पकड़कर जबरदस्ती सरसों के खेत में ले गया और जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतार दिये वह नग्न अवस्था में खड़ी रह गई फिर नारायण ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया व उसका दोस्त लल्लू ने मोबाइल से उसका अश्लील वीडियो बनाया और कह रहा था कि अगर घर पर किसी को बताया तो अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी/अभियोक्त्री द्वारा थाना मौ में मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त नारायण व लल्लू के विरुद्ध धारा 376-डी, 120-बी, 506 भा०दं०सं० व धारा 67, 67-ए, 67-बी सूचना तकनीकी

अधिनियम 2000, अप0क0 17/18 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर, विवेचना के अनुक्रम में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये कथन अभिलिखित किये गये हैं तथा मामले में नावालिग पीड़िता के साथ हुये सामूहिक बलात्संग जैसे घिनौने कृत्य का अपने मोबाईल से आवेदक/अभियुक्त सुनील द्वारा वायरल कर दिया जाना बताया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण लल्लू उर्फ रजनेश तथा सुनील को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख विधिवत वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड